

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

प्रार्थीगण

बनाम

2055

अप्रार्थीगण

दिनांक - 30/8/19

1 जुगताराम 2 ठाकराराम पिसरान  
आदुराम जाति कुम्हार निवासी  
सोनड़ी, विशाला आगोर तहसील व  
जिला बाड़मेर।


1 कानाराम पुत्र अणदाराम 2 वीराराम पुत्र  
गोरधनराम 3 नखताराम 4 रेवन्ताराम 5 सगताराम  
6 किशनाराम पिसरान मेहराराम जाति कुम्हार  
निवासी सोनड़ी, विशाला आगोर तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 87/2018

दिनांक- 26.08.19

## आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 258/190 रकबा 40.00 बीघा, खसरा संख्या 385/191 रकबा 01.12 बीघा,  
खसरा संख्या 386/192 रकबा 39.08 बीघा व कुल रकबा 81.00 बीघा भूमि के चारो तरफ  
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.  
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क  
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण  
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 30/8/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 2058-2059  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जुगताराम पुत्र आदुराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी सोनड़ी, विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कानाराम पुत्र अणदाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी सोनड़ी, विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर